प्रेषक,

अनुभव सिंह,
अवर व्यवहार न्यायाधीश (अवर खण्ड),
उन्नाव।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश, उन्नाव।

पत्रांकः /2020, दिनॉकः .10.2020

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मेरी नियुक्ति उ0प्र0 शासन के नोटिफिकेशन/एपाइंटमेन्ट सं0–600/II–4–2019, दिनॉकित 09.10.2019 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नोटिफिकेशन सं0–3812/एडमिन(सर्विसेज)/ 2019, दिनॉकितः 14 नवम्बर, 2019 द्वारा अवर व्यवहार न्यायाधीश (अवर खण्ड), उन्नाव के पद पर की गयी है।

विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा एलएल.एम. (दो वर्षीय नियमित कोर्स) (2015–2018), इनवर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से उत्तीर्ण किया गया है, जिसके संबंध में एलएल.एम. की अंकतालिकायें एवं पाठ्यक्रम के संबंध में डिग्री मुझे उ0प्र0 न्यायिक सेवा (सिविल जज जू0डि0) परीक्षा–2018 की मुख्य परीक्षा हेतु आवश्यक फार्म भरे जाने के उपरांत प्राप्त हुई है।

उक्त कारण से मेरे द्वारा उक्त विवरण फार्म भरे जाते समय अंकित नहीं किया जा सका था।

मैंने उक्त एलएल.एम. परीक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है।

उक्त संबंध में मेरे द्वारा एक अनुरोध पत्र, मेरे सेवा अभिलेखों में उक्त योग्यता के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि अंकित किये जाने हेतु, जनपद न्यायाधीश, उन्नाव के पृष्ठॉकन सं0–5808/I–156–19, दिनॉकित 21.11.2019 के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

उक्त संबंध में उप–निबंधक (एम) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनपद न्यायाधीश, उन्नाव को प्रेषित पत्र, जिसकी एक प्रति मुझे भी पत्रांक–5081/IV–4779/एडमिन (ए–1), दिनॉकित जून 19, 2020 इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई है कि मैं एलएल.एम. परीक्षा की डिग्री की प्रमाणित प्रति (दो सेट) अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करूँ।

इस संबंध में विनम्र निवेदन है कि मैं एलएल.एम. डिग्री की प्रमाणित प्रति के साथ–साथ एलएल.एम. परीक्षा की अंकतालिकायें माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ। सुलभ संदर्भ हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांकित जून 19, 2020 की प्रति भी संलग्न की जा रही है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि मेरे सेवा अभिलेखों में उक्त योग्यता के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि अंकित किये जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

(अनुभव सिंह)
अवर व्यवहार न्यायाधीश (अ0ख0)
उन्नाव।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।